25/3/2021

पत्रावली प्रस्तुत की। वकील अभ्यावेदक द्वारा
वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य
लोक अदालत की कार्यवाही में राजीनामा हो गया है।
एवं अभ्यावेदक प्रार्थी के आगे नहीं चलाना
चाहते हैं इस कारण वादीगण द्वारा वाद को
चलाना नहीं चाहते हैं. राजीनामा के आधार
पर विद्वा पत्रावली की इजाजत प्रदान करें।
प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी
अधिवक्ता ने भी अपीलिया पर No objection
किया है। इनके पत्रावली का अवलोकन
किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विद्वा
प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन
किया तो पाया कि वादी का वाद विद्वा प्रार्थना
पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित
रहेगा। दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो
चुका है। वाद प्रतिवादी अधिवक्ता को भी
No objection किया गया है। ऐसे में वादी
का वाद विद्वा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। वाद वापिस विद्वा प्रार्थना पत्र स्वीकार
होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली अभिलेख किया जावे। [illegible]
शुभकर होकर अभिलेख [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.01 15:23:34 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

No - objection for widr
25-3-21
(प्रति वादी अधि०)

Scanned with CamScanner